न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 22 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/23)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 10.11.2021

1. श्री नाना पिता मोडा मीणा– मृतक के बजायः–
    1. श्री लाला
    2. श्री तुलसीराम
    3. श्री मोहनलाल
    4. श्री चतरसिंह
    5. श्रीमती बिलूडी

    पुत्र व पुत्री नानालाल
    6. श्रीमती काली बाई पत्नि नानालाल
    7. श्रीमती कन्याबाई बेवा अम्बालाल
    8. श्री गोपालसिंह पुत्र अम्बालाल
    9. श्री जयसिंह पुत्र अम्बालाल
    10. श्री देवीलाल
    11. दीपू

    पुत्रगण अम्बालाल नाबालिगान जरिये सरपरस्ती माता कन्याबाई
    12. सुश्री सुशीला कुमारी पुत्री अम्बालाल

    सभी जाति मीणा निवासीगण ग्राम गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जसराज पिता मोडा
3. श्री गिरधारी पिता मोडा
4. श्री माधु पिता मोडा

    पुत्रगण मोडा
5. श्री तुलसीराम पिता नानूराम

    समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम गादोला, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री घनश्याम– फौत– नाम तर्क

2. श्री गणपत

पुत्रगण चम्पा बलाई, निवासीगण ग्राम गादोला, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़

3. श्री हरिशचंद्र पिता पिता चम्पा मृतक के बजायः–

1. श्रीमती कांता बेवा हरिशचंद्र बलाई
2. सुश्री ऐश्वर्या पुत्री हरिशचंद्र बलाई नाबालिग जरिये संरक्षक श्रीमती कांता बेवा हरिशचंद्र बलाई (माता)

4. श्रीमती फुलबाई बेवा चम्पा बलाई

सभी निवासीगण ग्राम गादोला, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भारत सनाढ्य – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्ररकण संख्या 53/1996 निर्णय दिनांक 25.07.2002 एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/4355/2004/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 22.08.2016

निर्णय

दिनांक 10.11.2021

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2004 निर्णय दिनांक 26.04.2004 के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डण्ल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/4355/2004/चित्तौड़गढ़ पेश की गई। निगरानी में हुए निर्णय दिनांक 22.08.2016 से निगरानी आंशिक स्वीकार होकर अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2004 को निरस्त करते हुए भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का सर्वप्रथम निस्तारण करने के पश्चात अपील को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण

प्रतिप्रेषित किया जाने से यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 09.01.2017 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गादोला, तहसील निम्बाहेडा में स्थित आराजी खसरा संख्या 1189 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि का श्री चम्पा पिता नन्दा बलाई खातेदार काश्तकार अंकित था। खातेदार चम्पा के पिता नन्दा द्वारा उक्त आराजीयात पंजीकृत विक्रय पत्र से मोडा पिता लाला मीणा को विक्रय कर दिये जाने से ग्राम पंचायत, गादोला द्वारा क्रेता के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 492 दिनांक 16.12.1971 को स्वीकृत किया। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा ने अपने प्रकरण संख्या 53/1996 निर्णय दिनांक 25.07.2002 से अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत, गादोला द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 492 निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, गादोला को रिमाण्ड कर मृतक नन्दा के वारिसान की जांच कर तथा उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 53/1996 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः– *"अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, गादोला के नामांतरकरण संख्या 492 ग्राम पंचायत, गादोला का आदेश दिनांक 04.04.1971 निरस्त किया जाता है। पत्रावली ग्राम पंचायत, गादोला को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि नन्दा के वारिसान की पूर्ण*

जांच कर उन्हें सुना जाकर नया नामांतरकरण खोला जाकर निर्णित करें।"

उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या 53/1996 निर्णय दिनांक 25.07.2002 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 05/2004 प्रस्तुत की जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2004 को करते हुए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए विवादित नामान्तकरण संख्या 492 को बहाल रखने का आदेश पारित किया।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 24.06.2004 से रूष्ठ होकर रेस्पोंडेण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या एल.आर./4355/2004/चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.08.2016 से निर्णय के अनुच्छेद संख्या 12 के अनुसार निम्नानुसार निर्णय पारित किया –

"परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2004 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र का सर्वप्रथम निस्तारण करने के पश्चात् अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करें।"

माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त निर्णय दिनांक 22.08.2016 के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में इस न्यायालय में यह अपील पुनः दर्ज की जाकर उभय पक्षों को सुना गया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों के क्रम में सर्वप्रथम मियाद पर निर्णय करने के निर्देश है एवं मियाद पर निर्णय के बाद गुणावगुण पर निर्णय करने

के माननीय राजस्व मण्डल के निर्देश है। यह तथ्यपरक स्थिति है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये अपने निर्णय दिनांक 24.06. 2004 में मियाद पर निर्णय नहीं दिया था। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की है उसमें दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह वर्णित किया है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलाण्ट को नियमानुसार तलब नहीं किया गया एवं गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट ने दिनांक 26.12.2003 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की तो अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि विवादित नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया है तो अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया तो पता चला कि रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील ही दिनांक 25.07.2002 को ही नामान्तकरण निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया तो अपीलाण्ट ने 02.01.2004 को नकल निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 03.01.2004 को प्राप्त की। जिस पर जानकारी अपील अंदर मियाद पेश है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त तथ्यों को ही दोहराते हुए यह वर्णित किया कि अपीलाण्ट को दिनांक 26.12. 2003 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं दिनांक 03.01.2004 को नकल प्राप्त करने के बाद दिनांक 12.01.2004 को अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलाण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया कि अपीलाण्ट गरीब व अशिक्षित काश्तकार है तथा ग्रामीण परिवेश के अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं साथ ही न्यायिक नजीर आर.जे.टी. 2008(2) पेज 1535 प्रस्तुत करते हुए यह वर्णित किया कि विलम्ब की लम्बाई सारवान नहीं होती, पर्याप्त कारण सारवान है और पर्याप्त कारण पर विचार करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये–दिया गया स्पष्टीकरण सत्यभाषी है व स्वीकार करने योग्य है। अर्थात् अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर

इस तथ्य पर अवलम्बित है कि यदि प्रकरण गुणावगुण पर महत्वपूर्ण हो तथा स्पष्टीकरण सत्यभाषी कथन वर्णित किये गये हो तो मियाद कण्डोन कर देनी चाहिये।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को प्रथम अपील प्रकरण की सूचना कई बार प्राप्त हो चुकी थी तथा उनके द्वारा जानबुझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी एवं उन्हें न्यायालय के सम्मन प्राप्त हो जाने के कारण उन्हें पूर्व से ही जानकारी थी तथा उनके द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं कि उन्हें प्रथम जानकारी पटवारी से नकल लेने पर हुई, यह मिथ्या है क्योंकि उन्हें प्रकरण की पूर्व से जानकारी थी।

माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी में प्रदत्त आदेशों/उपरोक्त लिखित अभिलेख, मौखिक बहस एवं पत्रावली में रेकर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम सर्वप्रथम मियाद पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा के यहां प्रथम अपील संख्या 53/1996 दिनांक 05.08.1996 को प्रस्तुत हुई। दिनांक 05.08.1996 को अपील प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की अपील के रेस्पोंडेण्ट एवं हमारे समक्ष विचाराधीन अपील के अपीलाण्टस की तामील की स्थिति देखा जाना वांछनीय है। हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट नाना को दिनांक 01.11.1996 की तामील दिनांक 24.12.1996 की पेशी के लिए जो जारी की गयी, वह मोहन पुत्र को तामील हुई है। दोबारा पेशी दिनांक 23.06.1998 की तामील जो कि दिनांक 25.04.1998 को जारी हुई, वह उसके पुत्र तुलसीराम को तामील हुई है। इसी प्रकार दिनांक 16.09.1997 की पेशी के लिए दिनांक 05.05.1997 को जारी तामील नाना स्वयं को व्यक्तिगत रूप से तामील हुई है, अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 1 को 3 बार जारी तामील में से दो बार उसके पुत्रों को एवं एक बार स्वयं नाना को तामील हुई

है। अपीलाण्ट संख्या 2 जसराज को पेशी दिनांक 24.12.1996 की तामील जो दिनांक 01.11.1996 को जारी हुई है, वह मोहन यानि उसके भतीजे को तामील हुई है। दिनांक 23.06.1998 की पेशी के लिए दिनांक 25.04.1998 को जसराज के लिए जारी तामील जसराज स्वयं को व्यक्तिगत रूप से तामील हुई है। जसराज को तीसरी बार जारी दिनांक 16.09.1997 की पेशी की तामील दिनांक 05.08.1997 को जारी की गयी, वह किसी राजमल को तामील हुई है, अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 2 जसराज को 3 बार जारी तामील में से एक बार उसके भतीजे को, एक बार स्वयं व्यक्तिगत रूप से एवं एक बार किसी राजमल को तामील हुई है, अर्थात् जसराज को तामील होना भी स्पष्ट है। जहां तक अपीलाण्ट संख्या 3 गिरधारी का प्रश्न है, उसे पेशी दिनांक 24.12.1996 के लिए जारी तामील अमरसिंह को तामील हुई है। पेशी दिनांक 23.06.1998 की तामील गिरधारी स्वयं को व्यक्तिगत रूप से तामील हुई है। पेशी दिनांक 16.09.1997 की तामील किसी जवारीमल को तामील हुई है, अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 3 गिरधारी को भी व्यक्तिगत तामील होना स्पष्ट है। जहां तक अपीलाण्ट संख्या 4 माधु का प्रश्न है, पेशी दिनांक 23.06.1998 की तामील उसके मकान पर चस्पा की जाकर दो मौतबीरान् के हस्ताक्षर लिये गये हैं। पेशी दिनांक 16.09.197 की तामील उसके भाई नाना को हुई है व पेशी दिनांक 24.12.1996 की तामील उसके पुत्र अमरसिंह को हुई है, अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 4 माधु को भी जाब्ता दीवानी के प्रावधानानुसार प्रकरण की जानकारी के लिए तामील होना स्पष्ट है। जहां तक अपीलाण्ट संख्या 5 तुलसीराम की तामील का प्रश्न है, पेशी दिनांक 24.12.1996 की तामील मोहन उसके भतीजे को हुई है। पेशी दिनांक 23.06.1998 की तामील तुलसीराम को व्यक्तिगत रूप से हुई है। पेशी दिनांक 16.09.1997 की तामील पर सिर्फ अंगुठा निशानी लगी है, जो अस्पष्ट तामील है, अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 5 तुलसीराम को भी व्यक्तिगत तामील होना सुस्पष्ट

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार बार–बार तामील जारी करने के बाद दिनांक 22.08.2001 को यह वर्णित किया है कि मिसल का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट की तामीलें पूर्व में हो चुकी है किन्तु वे उपस्थित नहीं है एवं पत्रावली को बहस में नियत किया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील वर्ष 1996 में प्रस्तुत हुई, उसकी सूचना अपीलाण्ट्स जो अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट्स थे, उन्हें प्रत्येक को कम से कम एक बार व्यक्तिगत तामील पत्रावली बहस में तय करने से पूर्व हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 में उनकी अनुपस्थिति लिखने के बाद दिनांक 25.07.2002 को प्रकरण का निर्णय पारित किया है जबकि अपीलाण्ट्स को तामील वर्ष 1996, 1997 एवं 1998 में होकर प्रकरण की जानकारी होना सुस्पष्ट है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलाण्ट्स द्वारा इस न्यायालय में दफा 5 के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 26.12.2003 को हुई। उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 13.01.2004 को प्रस्तुत की गयी एवं यह जो वर्णन किया गया कि उन्हें प्रकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.12.2003 को हुई, यह निसंदेह मिथ्या कथन है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.07.2002 को हुआ एवं यह अपील करीब सवा वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई है यानि 15 माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई एवं विलम्ब का जो कारण दिया गया वह मिथ्या है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अपीलाण्ट को सुस्पष्ट, आख्यापक एवं कई बार तामीलें एवं प्रत्येक को व्यक्तिगत तामील होना भी सुस्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी न्यायिक नजीर का हम सम्मान करते हैं परन्तु उन न्यायिक नजीर से यह स्पष्ट किया हुआ है कि यदि प्रकरण में

गुणावगुण व सारभूत तथ्य हो तो मियाद कण्डोन किये जाने के लिए स्पष्टीकरण जो दिया गया है वह सत्यभाषी व स्वीकार करने योग्य हो तब मियाद पर विचार नहीं करना चाहिये। इस प्रकरण में हम यह पाते हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने के लिए जो तथ्य दिये गये हैं, वह न सिर्फ गलत है अपितु मिथ्या एवं भ्रामक है। न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आने पर किसी भी पक्षकार को न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिये। इस प्रकरण में हम यह पाते हैं कि 15 माह के विलम्ब के लिए अपीलाण्ट द्वारा जो तथ्य दिये गये हैं, वे न तो उचित है, न ही पर्याप्त बल्कि तथ्य असत्य, मिथ्या एवं रेकर्ड से परे जाकर भ्रामक तथ्य है, अतएव हम माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में इस प्रकरण में गुणावगुणन पर कोई विवेचन करना उचित नहीं समझते क्योंकि प्रकरण स्पष्टतया बैरून मियाद है, अतएवं प्रकरण/अपील बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर